प्रेषक, संख्या -2-12(1)/ XXVII(1)/2008

एल0एम0 पन्त,
अपर सचिव, वित्त,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

अधिशासी अधिकारी,
नगरपालिका परिषद,
(संलग्न विवरणानुसार)
उत्तराखण्ड।

वित्त अनुभाग--1

देहरादून : दिनांक: 13 : मार्च,2008

विषय : 12वाँ वित्त आयोग की संस्तुतियों पर लिये गये निर्णय के अनुसार चालू वित्तीय वर्ष 2007–08 हेतु नगरपालिका परिषदों को प्रथम किश्त हेतु धनराशि का संक्रमण।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि 12वाँ वित्त आयोग, भारत सरकार की संस्तुतियों के आधार पर राज्य सरकार द्वारा लिए गये निर्णयानुसार 9 नगर पालिका परिषदों, उत्तराखण्ड को चालू वित्तीय वर्ष 2007–08 हेतु रू0 7936423/–(**रूपये उनासी लाख छत्तीस हजार चार सौ तेईस मात्र**) की धनराशि तदर्थ आधार पर संक्रमित किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

उपर्युक्त धनराशि निम्न शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन संक्रमित की जा रही है:–

(1) संक्रमित की जा रही धनराशि का 50 प्रतिशत अंश ठोस कचरा प्रबन्धन (Solid Waste Management) पर व्यय किया जायेगा तथा शेष अन्य विकास कार्यों पर, इसके द्वारा ठोस कचरे का उठान उसे अलग करने अलग करने तथा ढुलान पर होने वाला व्यय किया जा सकेगा। यह कार्यक्रम जनसामान्य की भागीदारी से किया जाना उचित होगा।

(2) संक्रमित की जा रही धनराशि को कोषागार से आहरित करने के लिये बिल सम्बन्धित जिलाधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित किया जायेगा। संक्रमित की जा रही धनराशि का उपयोग केवल उसी प्रयोजन हेतु किया जायेगा, जिसके लिए संक्रमित की गई है। इस धनराशि से किसी प्रकार का व्यावर्तन/समायोजन अनुमन्य नहीं होगा। इस धनराशि को वेतन/पेंशन आदि पर व्यय नहीं किया जायेगा।

(3) प्रथम किश्त का उपयोगिता प्रमाण–पत्र प्राप्त पर ही दूसरी किश्त अवमुक्त की जायगी।

(4) नगर विकास विभाग संक्रमित धनराशि के नियमानुसार उपयोग की समीक्षा करेंगे तथा इसके समुचित उपयोग के लिये उत्तरदायी होंगे। कोषागार से आहरित धनराशि का वाउचर संख्या तथा दिनांक की सूचना महालेखाकार उत्तराखण्ड एवं शासन के वित्त विभाग को भेजेंगे।

(5) शासनादेश में वित्त विभाग द्वारा निर्धारित विशिष्ट शर्तों का अनुपालन विभागीय अधिकारी/वित्त नियंत्रक/मुख्य/वरिष्ठ/लेखाधिकारी अथवा सहायक लेखाधिकारी जैसी भी स्थिति हो, सुनिश्चित करेंगे। यदि निर्धारित शर्तों मे किसी प्रकार का विचलन हो तो वित्त नियंत्रक इत्यादि का दायित्व होगा कि उनके द्वारा मामले की सूचना पूर्ण विवरण सहित तुरन्त वित्त विभाग को दी जायेगी।

(6) निदेशक, शहरी स्थानीय निकाय अपने स्तर पर निकायों को आवंटित धनराशि का समय से सदुपयोग कराना सुनिश्चित करेगें।

(7) इस धनराशि का उपयोगिता प्रमाण–पत्र भारत सरकार को भेजा जाना है। अतः उपयोगिता प्रमाण–पत्र जिलाधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित कराकर 31 मार्च, 2008 तक वित्त विभाग को कराये गये कार्यों के विवरण के साथ उपलब्ध कराया जायेगा, तभी अगले वर्ष हेतु धनराशि अवमुक्त की जायेगी।

C:\Rawat\nagar palika dorrnodc-4

(6) इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2007–08 के आय–व्ययक के अनुदान संख्या–07 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक– 3604–स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को क्षतिपूर्ति तथा समनुदेशन–आयोजनेत्तर–01–नगरीय स्थानीय निकाय–192–नगरपालिका /नगर निकाय–01–केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र पुरोनिधानित योजनायें–0102–12वें वित्त आयोग से प्राप्त अनुदान–20–सहायक अनुदान /अंशदान/राज सहायता के नामें डाला जायेगा।

भवदीय,

(एल0 एम0 पन्त)
अपर सचिव, वित्त

संख्या 212 (1)/XXVII(1)/2008 एवं तद्दिनांक

प्रतिलिपि:– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–

1. सचिव, नगर विकास विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. आयुक्त गढ़वाल मण्डल/कुमाऊं, उत्तराखण्ड।
3. जिलाधिकारी, ऊधमसिंह नगर, बागेश्वर, हरिद्वार, पौड़ी गढ़वाल, देहरादून तथा नैनीताल, उत्तराखण्ड।
4. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
5. जिला मुख्य/वरिष्ठ/कोषाधिकारी, ऊधमसिंह नगर, बागेश्वर, हरिद्वार, पौड़ी गढ़वाल, देहरादून तथा नैनीताल उत्तराखण्ड।
6. निदेशक, शहरी स्थानीय निकाय, उत्तराखण्ड, देहरादून।
7. निदेशक, कोषागार, वित्त सेवायें, उत्तराखण्ड, देहरादून।
8. निजी सचिव, मा0 मुख्य मंत्री जी, उत्तराखण्ड।
9. एन0 आई0 सी0, सचिवालय, देहरादून।
10. विभागीय अधिकारी/वित्त नियंत्रक/मुख्य/वरिष्ठ लेखाधिकारी/सहायक लेखाधिकारी, जैसी भी स्थिति हो।
11. निदेशक, वित्त आयोग प्रभाग, वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग, ब्लॉक 11, पंचम तल, सी0जी0ओ0 काम्पलैक्स, लोधी रोड़, नई दिल्ली।

आज्ञा से,

13/3/2008

(एल0 एम0 पन्त)
अपर सचिव, वित्त।

शासनादेश संख्याः–212 (1)/XXVII(1)/2007–08

दिनांकः 13 मार्च,2008

12वीं वित्त आयोग द्वारा संस्तुत वित्तीय वर्ष 2007–08 हेतु नगर पालिका परिषदें को प्रथम छमाही हेतु अनुदान की धनराशि।

(धनराशि रू0 में)

क्र0 सं0	जनपद का नाम	नगर पालिका परिषदें का नाम	प्रथम किश्त
1	2	3	4
1–	ऊधम सिंह नगर	रूद्रपुर	1672597
		जसपुर	483575
		खटीमा	321763
		सितारगंज	313887
2–	बागेश्वर	बागेश्वर	261851
3–	हरिद्वार	हरिद्वार	2034634
4–	पौड़ी गढ़वाल	कोटद्वार	625622
5–	देहरादून	विकासनगर	202104
6–	नैनीताल	हल्द्वानी	2020390
	योगः–		7936423

(रू0 उनासी लाख छत्तीस हजार चार सौ तेईस मात्र)

13/3/2008

(एल0एम0 पन्त)

अपर सचिव,वित

\Rawat\afc annexure xlsnode-4